9/5/2024

पत्रा. पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी का सभी आरुप हाजरी आरुप पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रार्थना-पत्र RTA का कोई औचित्य नहीं अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। मत्रावली फुटल कुमार होकर शामिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gangga Bhar Meena
Date: 2024.09.05 16:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner